न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-69RAAJodhpur2022-43RTA225 Devaram ors Vs Manchharam etc

01. देवाराम पुत्र चेतनराम
02. रामलाल पुत्र चेतनराम
जातियान् जाट, निवासीगण- दाड़मी, तहसील भोंपालगढ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. मन्छाराम पुत्र चेतनराम
02. सुशिला पुत्री चेतनराम
03. चेतनराम पुत्र सादुलराम
जातियान् जाट, निवासीगण- दाड़मी, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
04. शाखा प्रबंधक, यूकों बैंक शाखा आसोप, जिला जोधपुर।
05. भूमिधारी तहसीलदार भोपालगढ।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 18 फरवरी 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 18/2022 देवाराम बनाम मन्छाराम इत्यादि

उपस्थित-
श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री जसाराम चंवेल, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. 6

नि र्ण य

दिनांक : 22 फरवरी 2024

22.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 18/2022 अनवान देवाराम बनाम मन्छाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 18 फरवरी 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 24 फरवरी 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 252 रकबा 0.4775 हैक्टेयर ग्राम दाड़मी तहसील भोपालगढ के संबंध खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 फवरी 2022 के जरिये केवल रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया, जिससे व्यथित होकर ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त परिवार की आमदनी से खरीदसुदा है, जिसमें सभी पक्षकारों का बराबर-बराबर हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त है, इसलिए प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट्स के पक्ष में है। किसी भी पक्षकार को बिना बंटवाड़ा करवाये विशेष भू-भाग पर निर्माण करवाने का हक-अधिकार नहीं है। अगर मौके पर निर्माण करके अपीलांट को कब्जा से बेदखल कर दिया जाता है, तो अपूरणीय क्षति भी अपीलांट को ही होगी।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश को संशोधित

22.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया जाकर निर्माण कार्य नहीं किये जाने एवं मौके की यथास्थिति का आदेश फरमावे।

जबाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया खातेदारी घोषणा के दावे में विचारण न्यायालय ने राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट्स द्वारा अंतरिम आदेश के विरुद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध पोषणीय नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त खसरा नं. 252 रकबा 0.4775 हैक्टैयर पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 11.09.1973 के जरिये रेस्पोडेंट मन्छाराम पुत्र चेतनराम द्वारा खरीद किया जाना प्रतीत होता है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय आसोप के द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 21.12.1983 के मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या एक मंछाराम की जन्मतिथि 08.06.1963 है, जिससे वादग्रस्त आराजी की खरीद के वक्त रेस्पोडेंट संख्या दो नाबालिग होना तथा उसकी उम्र तत्समय करीब 10 वर्ष होना प्रथमदृष्टया प्रतीत होती है, जिससे प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त परिवार की सहदायगी की संपति से खरीद की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त तथ्य विचारण न्यायालय में विचाराधीन खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के मूल वाद में जरिये साक्ष्य सिद्ध होने है। तब तक वादग्रस्त आराजी के मूल स्वरूप में परिवर्तन नही हो, इसलिए वादग्रस्त आराजी का संरक्षित किया

22-2-24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाना उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना आलौच्य आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश विधिसम्मत नहीं होने से समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध पेश की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 के अंतिम निस्तारण हेतु मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे। तब तक अदालत हाजा का आदेश दिनांक 28 फरवरी 2022 प्रभावी रहेगा। अदालत हाजा का उक्त आदेश दिनांक 22 अप्रैल 2024 के पश्चात स्वतः निरस्त हो जायेगा। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 06 मार्च 2024 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22-2-24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

जोधपुर